H.R.D.I
No. 1932
Date 7-1-17

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1980

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम राजेश कुमार गौतम 2. वर्तमान धारित पद का. सहा. श्रे. I 3. कार्यालय का नाम अति. मुख्य अभियंता (मा. सं. वि.) म.प्र.पा.ट्रां.कं. जबलपुर

4. वर्तमान वेतन 30840/- + GP 4400/- 5. भविष्य निधि क्रमांक 22609308 6. कर्मचारी संख्या 78436257

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे: गृह तथा अन्य भवन	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे: भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
पनागर, जबलपुर	गृह	—	12,50,000/- (अनुमानित)	स्वयं	विरासत एवं मंडल ऋण से अप्रैल 94 में	कुछ नहीं	
अमती, पनागर, जबलपुर	—	भूमि	97,50,000/- (अनुमानित)	स्वयं	1. खरीदा, फरवरी 2002 में स्वयं की बचत से 2. विरासत में प्राप्त हुई	80,000/-	
— " —	—	भूखण्ड	2,10,000/- (अनुमानित)	पत्नि	बचत से खरीदा मार्च 2014	कुछ नहीं	

दिनांक 28-11-16

हस्ताक्षर [signature]

नाम राजेश कुमार गौतम

पद का. सहा. श्रे. I

* जहां लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार